न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 1774 / 2003 / अलवर

सांवतराम पुत्र तारिया जाति मीना निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

...अपीलान्ट्

बनाम

1– चन्दगी पुत्र हरलाल
2– जयराम पुत्र हरलाल
3– देशराज पुत्र हरलाल
4– धर्मेन्द्र पुत्र हरलाल
5– सीताराम पुत्र हरलाल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर।

....रेस्पोन्डेन्ट्स

6– रामजीलाल पुत्र तारिया
7– जगदीश पुत्र तारिया
दोनों जाति मीना निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

....तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एस.के. शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट् की ओर से ।
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 से 5 की ओर से।

———

दिनांकः .....

निर्णय

यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 2 / 2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–3–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 / वादीगण ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा संख्या 883 रकबा 9

बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम वाके ग्राम मोठूका के वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स खरीददार खातेदार काबिज काश्तकार है। इस आराजी खसरा संख्या 883 के तरफ पूर्व दक्षिण आराजी खसरा नम्बर 882 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा पर प्रतिवादीगण/अपीलान्ट् व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स खातेदार काश्तकार है। उक्त खरीदशुदा कब्जे काश्त आराजी को वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स ने प्रतिवादीगण/अपीलान्ट या किसी अन्य को कभी भी रहन, बय आदि मुन्तकिल नहीं किया है। वक्त खरीद से वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु उक्त आराजी के 12 बिस्वे रकबे को तोड़कर प्रतिवादीगण/अपीलान्ट ने अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 882 में जबरन मिला लिया है। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण दिनांक 08–1–1998 को विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–3–2003 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलान्ट पर सम्मन विधिवत रूप से तामील नहीं हुए है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अन्तर्गत आदेश 5 नियम 12 व आदेश 5 नियम 17, 18, 19 के विपरीत जाकर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य थी। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी सवाई सिंह को अपना वकील नियुक्त नहीं किया गया था ना ही वह उसको जानता है। उसका वकालतनामा रिकार्ड पर नहीं है तथा कभी भी उसकी ओर से कथित अन्डरटेकिंग देने के निर्देश नहीं दिये गये जिसके आधार पर आगामी पेशी पर अनुपस्थित होने के कारण तथा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो विधि विरूद्ध है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलान्ट द्वारा कभी सम्मन लेने से इंकार नहीं किया गया है तथा इस संबंध में दिनांक 09–2–1996 को अंकित रिपोर्ट न तो विधिवत है और ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य ली गई है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्

की अपील को मियाद बाहर मान कर निरस्त किये जाने में भारी भूल की है जबकि वाद में अपीलान्ट पर सम्मन तामीली विधिवत नहीं की गई थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मान कर निरस्त किया गया है साथ ही गुणावगुण पर भी निर्णित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों को अनदेखा कर अवधि के प्रश्न पर सही निर्णय नहीं देकर गुणावगुण पर अपील का निर्णय करने में भारी भूल की है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात को नजरअंदाज किया है कि वादी ने जो वाद प्रस्तुत किया है वह असत्य कथनों पर आधारित था। अपीलार्थी के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 5–7–1995 को अवैध कब्जे के सम्बन्ध में बताया गया था जबकि राजस्व अभिलेखों से यह भली भांति स्पष्ट था कि अपीलार्थी सम्वत 2016 से विवादित आराजी पर काबिज है। वाद वादी दिनांक 11–9–1995 को प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर था। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 882 खसरा संख्या 436 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 437 मिन रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा से बना है। अपीलान्ट का साबिक खसरा संख्या 437 मिन रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा था और जमानी के नाम खातेदारी में चला आ रहा था। अपीलार्थी के पूर्वजों ने 1/2 हिस्सा क्रय किया था। खसरा संख्या 437 के चार नये खसरे निर्मित किये गये थे जिसके अभिलेख को देखे बिना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदर्श 4 को अनदेखा कर निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5– वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट मियाद के बिन्दु को साबित करने में असफल रहा है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मन लेने से इंकार किया गया है इसलिए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। विवादित आराजी में अपीलान्ट का कोई हक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष प्रतिपादित किये गये है जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद की भली भांति जानकारी थी। दिनांक 5—6—1997 को रामजीलाल, जगदीश व सांवताराम के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29—8—1998 को अपीलान्ट के भाई/रामजीलाल ने विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया और इस प्रार्थना पत्र का सम्मन सांवताराम/ अपीलान्ट को भेजा गया था जो उसने दिनांक 23—10—1998 को प्राप्त कर लिया था। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलान्ट को विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद संबंधी पूर्ण जानकारी थी और वो जानबूझकर कर प्रकरण को विलम्बित करना चाहता था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी वर्तमान अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी जिसके संबंध में भी उसके द्वारा संतोषप्रद कारण नहीं बताये गये है। इसी प्रकार हल्का पटवारी मोठूका की रिपोर्ट दिनांक 01—7—1995 से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 से 5 की खरीदशुदा आराजी खसरा संख्या 883 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में से 12 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स ने अतिक्रमण कर अपनी आराजीयात में शामिल कर लिया है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विस्तृत विवेचन कर तथा सम्पूर्ण साक्ष्य लेकर प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष प्रतिपादित किये है जिनसे हम सहमत है। तथा द्वितीय अपीलीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः यह द्वितीय अपील आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर एवं सहायक कलक्टर, बानसूर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 29—3—2003 व 8—1—1998 यथावत रखे जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य